

एवं अद्य व लागती, तथा यदि कोई बसूली हुई है तो उसे कम करने के उपरान्त प्रभावों के अधधीन होगा।

बंधक संपत्ति का विवरण

श्री अजीम अहमद के स्वामित्व में संपत्ति तीन मंजिला पूर्ण रूप से निर्मित नं. VII/1246, कुच मिर्जा हुसैन बेग के आबादी क्षेत्र में, फराश खाना, दिल्ली-110006 क्षेत्रफल 58 वर्गगज।
दिनांक : 26.06.2015 स्थान: दिल्ली प्रधिकृत अधिकारी



डाबर इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002
Tel. No.011-23253488, Fax No.011-23222051,
CIN - L24230DL1975PLC007908, Website: www.dabur.com
e-mail: corpcomm@dabur.com ; e-mail ID for investors: investors@dabur.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35वी के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है, ताकि वे कंपनी की वार्षिक आम सभा (एजीएम) जो कि मंगलवार, 21 जुलाई, 2015 को प्रातः 11 बजे एयर फ़ोर्स आडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 के पते पर आयोजित की जाती है, के नोटिस में निहित प्रस्तावों के संदर्भ में अपने मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकें। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना मत एजीएम के स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से दे सकते हैं (दूरस्थ ई-मतदान)। दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने कार्बी कम्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्बी') की सेवाएं प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राप्त की हैं।

एजीएम का नोटिस जिसमें अन्य के अतिरिक्त मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) के विषय में विस्तृत अनुदेश एवं सूचनाएं दी गई हैं वह सदस्यों को प्रेषित/ई-मेल कर दिया गया है, तथा यह प्रेषण/ई-मेल 26 जून, 2015 को पूरा कर दिया गया है। एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.dabur.com एवं कार्बी की वेबसाइट http://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है।

दूरस्थ ई-मतदान सुविधा 18 जुलाई, 2015 को प्रातः 9 बजे आरम्भ होगी तथा 20 जुलाई, 2015 को सांय 5 बजे समाप्त होगी। उक्त समय और तारीख के पश्चात दूरस्थ ई-मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

केवल वही व्यक्ति जिनके नाम सदस्यों/लामप्रद मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 14 जुलाई, 2015 को दर्ज होंगे, वे दूरस्थ ई-मतदान तथा बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण के पश्चात कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि 14 जुलाई, 2015 को शेयर धारक है, वह अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड कार्बी को ई-मेल आईडी evoting@karvy.com / srkrishna.p@karvy.com या कंपनी की ई-मेल आईडी investors@dabur.com अथवा कंपनी या कार्बी को लिखित में प्रार्थना भेजकर प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही कार्बी के साथ दूरस्थ ई-मतदान के लिए पंजीकृत है तो वे मतदान करने के लिए भया यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त किए बिना अपना मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपयोग करें।

कंपनी की एजीएम में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्य जो बैठक में भाग ले रहे हैं एवं जिन्होंने पहले ही अपना मतदान दूरस्थ ई-मतदान द्वारा नहीं किया है वे बैठक में अपना मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत दे दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें अपना मत पुनः देने की अनुमति नहीं होगी।

दूरस्थ ई-मतदान से संबंधित शिकायतों के लिए कृपया श्री कृष्ण पी. प्रबंधक, कार्बी कम्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलोनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबोली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट नानकसामपुर, हैदराबाद - 500032 को ईमेल आईडी srkrishna.p@karvy.com, फोन नं 040-67161516 पर संपर्क करें।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29 जून, 2015

कृते डाबर इण्डिया लिमिटेड
(ए के जैन)
डी पी. (फाईनेन्स) एवं कंपनी सचिव